E-mail
12/07/2020
12-47 PM

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

क्रमांक/सामान्य/कोरोना/2020/ 8573 दिनांक:..12..07.2020

–::आदेश::–

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश/एड्वाइयजरी/दिशा–निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं, ताकि लोक–व्यवस्था कायम रह सके एवं मानव जीवन सुरक्षित रहे। कोविड–19 के पोजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक:प.33(2)गृह/ग्रुप–9/2019 जयपुर, दिनांक 11.07.2020 से व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन नियंत्रण हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक:प.33(2)गृह/ग्रुप–9/2019 जयपुर, दिनांक 11.07.2020 की अनुपालना में, मैं **हिमांशु गुप्ता, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर** कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने व जिले में आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ:–

1. **जिले में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आगमन:** जिले में बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश निम्नानुसार नियंत्रित किया जायेगा:–
   - I. निर्धारित ट्रेन/बस: ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के पश्चात् ही यात्रा करने हेतु अनुमत है। रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड पर उनकी पुनः स्क्रीनिंग की जावे।
   - II. सड़क मार्ग से (निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन): बॉर्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर इन समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाये एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जावे।

2. **राजस्थान राज्य के बाहर व्यक्तियों का प्रस्थान:**
   - I. राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों के लिए पास आवश्यक होगा। यह पास निम्न कार्यालयों से प्राप्त हो सकेंगे:
     - a. जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
     - b. ज़िला पुलिस अधीक्षक
     - c. संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट
     - d. उप अधीक्षक पुलिस
     - e. स्थानीय पुलिस स्टेशन

     क्रम संख्या c से e अधिकारियों द्वारा उनके स्तर पर जारी किये गये पासो की सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक को देंगे।
   - II. उपरोक्त के अतिरिक्त, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहाँ से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनवाना चाहते है, उनको यात्रा के प्रस्थान से समुचित समय पूर्व पंहुचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा संबंधी स्क्रीनिंग पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।
   - III. जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे है उनकी स्क्रीनिंग एवं पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर भी किया जायेगा।
   - IV. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नही होगी, परन्तु उनकी यात्रा/अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा:
     - a. जो व्यक्ति 12 जुलाई, 2020 को निर्धारित उड़ान/ट्रेन/RSRTC बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे है।
     - b. विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यु/एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में), उचित सत्यापन के पश्चात्।

जिला मजिस्ट्रेट जालोर